बिहार सरकार

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

बिहार, पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 66/2014–15

(1) परिचयात्मक

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – :– अंचल कार्यालय, बिहटा, पटना।

(ख) अकेक्षणान्तर्गत लेखावधिः– वर्ष 2010–11 से 11–12 तक

(ग) प्रशासी विभाग का नामः– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल :–

(i) श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा, समाहर्त्ता, दिनांक – 1.4.2010 से 11.2..11 तक।

(ii) श्री संजय कुमार सिंह, समाहर्त्ता, दिनांक – 11.2.2011 से 31.03.12 तक।

(ङ) अंकेक्षित अवधि के लेखा के प्रभारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम, पदनाम एवं कार्यकाल :–

(i) श्री गिरधारी लाल, अंचल अधिकारी दिनांक– 1.4.10 से 4.4.10 तक।

(ii) श्री रणधीर कुमार सिंह, अंचलाधिकारी दिनांक– 4.4.10 से 08.12.10 तक।

(iii) सुश्री नीलम कुमारी, प्रभारी उप समार्हता, दिनांक– 19.12.11 से 7.02.12 तक

(iv) श्री राम उरॉव, अंचलाधिकारी, दि0 – 7.2.12 से 31.3.12 तक

(v) श्री प्रभाष चन्द्र वर्मा, प्रधान लिपिक, दिनांक– 1.4.10 से 05.7.11 तक

(vi) श्री शिव कुमार साह, प्रधान लिपिक सह रोकड़ पाल, दिनांक – 06.7.11 से 10.09.11 तक।

(vii) श्री रणधीर कुमार, रोकड़ पाल, दि0 – 1.4.10 से 05.07.11 तक

(viii) श्री सुबोध कुमार, रोकड़ पाल, दिनांक– 11.7.11 से 31.3.12 तक

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदाधिकारी / कर्मचारी का नाम / पदनाम एवं कार्यकाल:– (i) श्री अमलेश कुमार सिंह, प्र0 लि0, 10.7.13 से अद्यतन

(ii) श्री दिलीप सिंह चन्द्रवंशी, रोकड़ पाल ।

(छ) वरीय अंकेक्षकों का नाम :– (1) श्री राजकिशोर सिंह, व0अं0–2

(2) श्री मो0 ओबैदुल्लाह जावेद, व0अं0–2

(ज) अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि :– दिनांक– 24.06.2014

(झ) अंकेक्षण समाप्ति तिथि :– दिनांक – 15.11.2014

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस :– 42 दिन।

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :– अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' पर अंकित हैं।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र :–

(i) अंकेक्षण के प्रकार :– सामान्य

(ii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग, का आदेश सं0 एवं तिथि :– विभागीय ज्ञापांक –3286 दिनांक 15.9.60 के निहित निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न किया गया।

(iii) वित्तीय स्त्रोत :– सरकार द्वारा प्राप्त आवंटन।

(iv) कोषागार सत्यापन :– कोषागार से निकासी एवं जमा का सत्यापन कोषागार, दानापुर के कम्प्यूटर से शत्–प्रतिशत् किया गया एवं सही पाया गया।

(v) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :– प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया अनुपालन अनुपलब्ध।

(vi) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति:– प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अनुपालन अनुपलब्ध।

(3) वित्तीय समीक्षा

(i) आवंटन की स्थिति में – क्या आवंटन से अधिक की निकासी की गई है – नहीं।

इस कार्यालय के लेखा वर्ष 2010–11 से 11–12 का आवंटन एवं व्यय विवरणी परिशिष्ट "ख" पर अंकित है। परिशिष्ट में अंकित ब्यौरा से स्पष्ट होगा कि सभी व्यय आवंटन के अन्तर्गत के तथा बचत की राशि की यथा समय विभाग को प्रत्यार्पित कर दिया गया।

(ii) रोकड़ पंजी में संवरण शेष का भौतिक सत्यापन की स्थिति :– भौतिक सत्यापन किया गया। विभागीय आदेश सं0–503/एफ0 ए0 दिनांक–29.1.76 के निदेशानुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा रोकड़ का नकदी भौतिक सत्यापन किया गया। अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि 24.06.2014 का संवरण शेष 590035.16 पाया गया।

जिसका विवरण इस प्रकार है।

1. 2029	वेतन	319187.16
2. 0029	राजस्व	84900.00
3. 2055	पुलिस	0.00
4. 2245	सहाय्य	178667.00
5. 2235	सामाजिक	0.00
6. 2015	निर्वाचन	0.00
7. 4047	महादलित	0.00
8. विविध		7281.00
		590035.16

1	भारतीय स्टैट बैंक, विकास शाखा विहटा ए/सी– 11573222033	44210.16
2	भारतीय स्टैट बैंक, विहटा ए / सी – 30386486698	8160.00
3	भारतीय स्टैट बैंक, दानापुर, ए / सी – 10962962391	383.00
4	अस्थायी अग्रिम –	149600.00

5	अभिश्रव –	330627.00
6	सिंगल लौंग –	57053.00
		590035.16

(iii) सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण शेष का वार्षिक ब्यौरा अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि के संवरण शेष का पूर्ण विवरण परिशिष्ट ''ग'' पर अंकित है।

(iv) मांग एवं संग्रहण की स्थिति में :– मांग एवं संग्रहण विवरणी रिटर्न वन के अनुसार परिशिष्ट ''घ'' पर अंकित है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होगा कि वर्ष 2010–11 एवं 11–12 में मांग के विरूद्ध क्रमशः 805646.00 एवं 1248364.00 वसूली की गयी थी। अंकेक्षणावधि में वसूली का प्रतिशत कुल मांग का वर्ष 2010–11 में 57.33 प्रतिशत तथा वर्ष 2011–12 में 51. 38 प्रतिशत पाया गया। इस प्रकार लक्षण से कम वसूली किये जाने की ओर उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। अंकेक्षण का सुझाव है कि राजस्व वसूली में वृद्धि की जाय। साथ ही वर्ष 2010–11 में अवशेष मांग की राशि से अगले वर्ष 2011–12 के बकाया मांग में अधिक राशि दिखायी गयी है। उक्त विन्दु की समीक्षा हेतु प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(4) अंकेक्षित अवधि में कार्यालय के स्वीकृत / कार्यरत एवं रिक्त बल से संबंधित विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ड़'' पर संलग्न है।

भाग – 2

कंडिका – 5. भू राजस्व को प्राप्त राशि को कम जमा राशि 6746.00 की गबन के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित :–

वित्तीय वर्ष 2011–12 हल्का सं0 –7 के 3 ए पंजी के योग एवं संतुलन के जाँच क्रम में पाया गया कि उक्त वर्ष में कुल रू0 159968.00 भूराजस्व के रूप में वसूली की गई थी। जिसके विरूद्ध नाजिर रसीद द्वारा कार्यालय के कुल रू0 152922.00 ही जमा किया गया था स्पष्ट है कि रोकड़ पुस्त में राजस्व राशि का कम मांग दिखाकर वास्तविक वसूली से राशि 6746.00 कम जमा किया गया था। निर्गत अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नाजिर रसीद सं0 110110 दिनांक – 3.11.14 द्वारा 6746.00 रूपया कार्यालय में जमा किया गया। अंकेक्षण दल द्वारा भी इसकी जाँच की गयी। इतने दिनों के बाद अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में उक्त राशि को जमा करना गबन को और सुदृढ़ करता है। उक्त गबन के विरूद्ध दोषी व्यक्ति पर आवश्यक कार्रवाई विधि सम्मत अन्य कार्रवाई कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को सूचित किया जाय।

6. (क) सुनिश्चित वृति उन्नयन वेतन का अन्तर प्राप्त राशि पर आयकर की गणना में सामिल नहीं करने के कारण आयकर के रूप में कुल रू0 251684.00 का अधिक भुगतान वसूली योग्य :–

(क) वेतन भुगतान पंजी वर्ष 2010–11 के जाँच क्रम में पाया गया कि विभिन्न कर्मचारियों को विपत्र सं0– 166/10--11 द्वारा 2189793.00 रू0 का सुनिश्चित वृति उन्नयन वेतन का अन्तर राशि दिनांक – 31.3.11 को भुगतान हुआ था। वर्ष 2010–11 के आयकर विवरणी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उक्त राशि को आयकर विवरणी में शामिल नहीं किया गया है राशि को आयकर विवरणी में शामिल नहीं किया गया है यानि इस राशि पर आयकर की कटौती नहीं की गयी थी। उक्त बकाया राशि वर्ष 2011–12 की आयकर विवरणी में भी जोड़ा नहीं गया था। इस तरह उक्त राशि पर आयकर के रूप में कुल रू0 251684.00 आयकर के रूप में अधिक भुगतान हो गया है।

(ख) आयकर विवरणी के जाँच में इन लोगों द्वारा 80 सी के तहत गलत लाभ लिया गया है जैसे कि :–

(i) श्री उदय कुमार द्वारा 80 सी के तहत गोल्डन जुबली होस्टल फी एवं केस चार्ज पर छूट का लाभ लिया गया है।

(ii) श्री दिनोश्वर प्रसाद वर्मा द्वारा 80 सी के तहत परीक्षा फी एवं विलम्ब शुल्क पर छूट का लाभ लिया गया है।

(iii) श्री जितेन्द्र कुमार सिंह द्वारा 80 सी के तहत कॉसन फी, होस्टल फी, होस्टल सीकुरीटी परीक्षा फी एवं विलम्ब शुल्क पर छूट का लाभ लिया गया है और तो और 2010–11 के पूर्व 27.10.2009 एवं 23.12.2009 के जीवन वीमा प्रीमियम भुगतान पर छूट का लाभ लिया गया है।

(iv) श्री सुरेश प्रसाद द्वारा 80 सी के तहत किसान विकास पत्र पर छूट का लाभ लिया गया है इस तरह इन लोगों द्वारा 80 सी के तहत छूट का लाभ लिया गया है। विवरणी परिशिष्ट "च" पर उपलब्ध है।

उल्लेखनीय है कि वेतन से प्राप्त होने वाली ग्राम से आयकर की कटौती स्त्रोंत पर की जाती है। आयकर अधिनियम की घारा 192 के अधिक वेतन भुगतान करने वाले अधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह उत्तरदायित्व है कि वेतन शीषों के अन्तर्गत प्रभार्ग आयकर की कटौती वर्ष के दौरान होने वाली आकलित ग्राम के अनुसार तत्समय प्रभुत आयकर की दरों के आधार पर वेतन से करना है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी को पिछले वर्षो के बकाये या अग्रिम वेतन भुगतान किया जाता है। तो वह आयकर अधिनियम 1962 की घारा 89 (1) के अधीन बकायों या अग्रिमों पर कर राहत ले सकता परन्तु आयकर विवरणी में उक्त कर राहत का दावा नहीं पाया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि एक व्यक्ति या HUF को वि0 निदिष्ट मामले जैसे जीवन वीमा प्रिमियम, भविष्य निधि में अंशदान गृह निर्माण अग्रिम से मूलधन का भुगतान दो बच्चे के शिक्षण शुल्क का भुगतान (परीक्षा शुल्क, विकास शुल्क आदि नहीं) आदि में धारा 80 सी के तहत एक लाख को कटौति अनुमान्य है। आपत्ति निर्गत की गई लेकिन अनुपालन नहीं किया गया।

परन्तु उपर्युक्त नियमों का पालन किये बिना आयकर की कटौती सही नहीं करने से कुल रू0 251684.00 आयकर की क्षति हुई जिसे संबंधित कर्मचारियों द्वारा आयकर शीर्ष में

दण्डशुल्क के साथ बैंक में चालान के माध्यम से जमा किया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को दी जाए।

कंडिका 7. गलत गणना के कारण वेतन मद में 5454.00 रूपया का अधिक भुगतान वसूली योग्य :—

वेतन भुगतान पंजी शीर्ष 2029 वर्ष 2010—2011 की जाँच क्रम में पाया गया कि विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न विपत्रों द्वारा वेतन मद में गलत गणना के कारण 5454.00 रूपया का अधिक भुगतान किया गया था। विभिन्न व्यक्तियों को 1 अगस्त 2010 से 22 अगस्त 2010 तक 22 दिनों का वेतन भुगतान हुआ था। गणना क्रम में अगस्त माह को 30 दिनों का महीना मानकर गणना की गयी थी जब कि अगस्त माह 31 दिन का होता है। अतः उपर्युक्त गणना भूल के फलस्वरूप 5454.00 रू0 का अधिक भुगतान पाया गया। कार्यालय द्वारा निर्गत आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया।

पूर्ण विवरणी परिशिष्ट "छ" पर अंकित है। अतः रूपया 5454.00 का अधिक भुगतान की राशि संबंधित व्यक्तियों से वसूलकर कोषागार में जमा की जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी दी जाए।

कंडिका 8. रू0 6534.00 आवास भत्ता, शहरी भत्ता एवं सवारी भत्ता का अधिक भुगतान वसूली योग्य :—

वेतन भुगतान पंजी के जाँच क्रम में पाया गया कि श्री शिव कुमार साह लिपिक को आवास भत्ता 15 प्रतिशत, शहरी भत्ता 180.00 एवं सवारी भत्ता 75.00 रू0 का भुगतान माह नवम्बर 2009 दिसम्बर 2009 एवं जनवरी 2010 में किया गया था।

उल्लेखनीय है कि विहटा अवर्गीकृत स्थान के श्रेणी में आती है अतः उन्हें अवर्गीकृत स्थान में पदस्थापित कर्मचारियों का वास्तविक मूल वेतन का 5 प्रतिशत ही आवास भत्ता भुगतेय होगा। साथ ही शहरी भत्ता एवं सवारी भत्ता का भुगतान नहीं होना चाहिए। स्पष्ट है कि बिहटा अंचल पटना नगर निगम क्षेत्र में नहीं है। निर्गत आपत्ति का कार्यालय द्वारा अनुपालन नहीं किया गया।

अतः संबंधित व्यक्ति से कुल रू0 6534.00 वसूल की जाय तथा कोषागार में जमा कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाए।

भुगतीत राशि							
विपत्र सं0	माह मूल वेतन आवास भत्ता	मूल वेतन	आवास भत्ता	शहरी भत्ता	सवारी भत्ता	कुल	भुगतीत तिथि
61/10-11	नव0 09	19,230.00	2,885.00	180.00	75.00	22,370.00	09-10-2010
62/10-11	दिस0 09	19,230.00	2,885.00	180.00	75.00	22,370.00	09-10-2010
63/10-11	जन0 10	19,230.00	2,885.00	180.00	75.00	22,370.00	09-10-2010
						67,110.00	

भुगतीत राशि					
नव0 09	19,230.00	962.00	0.00	0.00	20,192.00
दिस0 09	19,230.00	962.00	0.00	0.00	20,192.00
जन0 10	19,230.00	962.00	0.00	0.00	20,192.00
					60,576.00

कुल	भुगतीत	राशि	67,110.00
कुल	भुगतीत	राशि	60,576.00
	अन्तर	राशि	6,534.00

कंडिका 9. रू0 1875.00 अनियमित कर्तव्य भत्ता का भुगतान वसूली योग्य :–

वेतन भुगतान पंजी वर्ष 2010--11 एवं 2011–12 के जाँच क्रम में पाया गया कि श्री गिरीधर लाल, अंचलाधिकारी, श्री रणधीर कुमार सिंह, अंचलाधिकारी एवं श्री राम उरॉव अंचलाधिकारी को 75.00 प्रतिमाह की दर से कर्तव्य भत्ता का भुगतान किया जाना था जो देय नहीं है तथा विभागीय आदेश प्राप्त नहीं था। निर्गत आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया। न तो अंचलाधिकारी को कर्तव्य भत्ता भुगतान किये जाने से संबंधित कोई सरकारी पत्र दिखाया जा सका। अतः आपत्ति यथावत रह जाती है।

अतः संबंधित व्यक्तियों से अनियमित भुगतान कुल रूपये 1875.00 वसूल की जाय तथा कोषागार में जमा कर अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, को अवगत कराया जाय।

विवरण निम्नवत् है।

1	श्री गिरीधर लाल, अंचलाधिकारी,	मार्च 10 का वेतन	75.00
2	श्री रणधीर कुमार सिंह, अंचलाधिकारी	जून 2010 से अक्टूबर 10 तक 5X75	375.00
3	श्री राम उरॉव, अंचलाधिकारी	अगस्त 2010 से फरवरी 2012 19X75	1425.00
		योग :–	1875.00

कंडिका 10. वेतन मद 1229.00 रूपया अधिक भुगतान वसूली योग्य :–

शीर्ष 2055 वर्ष 2011–12 एवं 2011–12 के वेतन भुगतान पंजी के जॉच में पाया गया कि विभिन्न कर्मियों की गलत गणना कर वेतन मद में 1229.00 रू0 का अधिक भुगतान किया गया था। विवरणी परिशिष्ट ''ज'' पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि विभिन्न अपूर्ण माहों में (कार्य दिवस) दिवस के रूप में कम अधिक गणना कर रू0 1229.00 का अधिक भुगतान किया गया। निर्गत आपत्ति का अनुपालन कार्यालय द्वारा नहीं किया गया।

अतः अधिक भुगतान की राशि रू0 1229.00 संबंधित व्यक्तियों से वसूलकर कोषागार में जमा की जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को दी जाए।

कंडिका 11. वेतन मद में 1140.00 रू0 अधिक भुगतान वसूली योग्य :–

वेतन भुगतान पंजी शीर्ष 2055 वर्ष 2010–11 के जाँच क्रम में पाया गया कि विपत्र सं0 – 155/2010–11 द्वारा श्रीमति शकुन्तला देवी, चौकीदार का मूल वेतन माह फरवरी 2011 में 8190.00 पर निकासी की गयी थी, जब कि माह फरवरी 2011 में इनका वास्तविक मूल वेतन 7430.00 थी। तथा जनवरी 11 एवं मार्च 11 में भी मूल वेतन 7430.00 पर निकासी की गयी थी। आपत्ति निर्गत की गई लेकिन अनुपालन नहीं किया गया। फलस्वरूप निम्न तालिका अनुसार रू0 1140.00 का अधिक भुगतान किया गया था। वेतन भुगतान पंजी के आधार पर विवरण निम्नवत है।

	माह	मूल वेतन	मं0 भत्ता	मकान किराया	चि0 भत्ता	कुल
भुगतीत राशि	फरवरी 11	8,190.00	3,686.00	410.00	200.00	12,486.00
भुगतेय राशि	फरवरी 11	7,430.00	3,344.00	372.00	200.00	11,346.00
अन्तर		760.00	342.00	38.00	0.00	1,140.00

अतः उक्त रू0 1140.00 की अनियमित भुगतान की राशि संबंधित व्यक्ति से वसूलकर कोषागार में जमा किया जाय तथा इसकी सूचना से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी संसुचित किया जाय।

12. संवरण शेष से प्रारम्भण शेष में रू0 100.00 कम दिखाया जाना वसूली योग्य :–

वितीय वर्ष 2011–12 के हल्का सं0 – 9 के रजिस्टर 3 ए के योग एवं संतुलन के जाँच क्रम में दिनांक 21.4.2010 के पृष्ट सं0 2 का संवरण शेष 3887.16 रूपया था लेकिन दिनांक 22.4.10 के पृष्ट सं0 – 3 का प्रारम्भण शेष 3787.16 पाया गया इस प्रकार प्रारम्भण शेष में 3887.16–3787.16 = 100.00 रूपया कम अंकित पाया गया। आपत्ति निर्गत की गई लेकिन अनुपालन नहीं किया गया।

अतः भू राजस्व से प्राप्त राशि संवरण शेष से प्रारम्भण शेष में कम अंकित रूपया 100.00 संबंधित हल्का कर्मचारी से वसूलकर राजकोष के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी दी जाए। भविष्य में पुनरावृति पर रोक अपेक्षित है।

13. 3 ए पंजी में प्राप्त भु राजस्व की राशि से कम दर्ज होने के फलस्वरूप राशि रू0 20.00 वसूली योग्य :–

वितीय वर्ष 2011–12 के हल्का सं0 – 6 अंतर्गत पंजी 3 ए एवं लगान रसीद की कार्बन प्रति के सत्यापन क्रम में पाया गया कि लगान रसीद सं0 199044 दिनांक 14.02.12

को 186.60 रू0 प्राप्त की गयी थी, परन्तु पंजी 3 ए में 166.20 रू0 प्रविष्टि किया गया था। इस प्रकार हल्का कर्मचारी द्वारा 20.00 कार्यालय में कम जमा किया गया था। निर्गत आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया।

अतः भू राजस्व से प्राप्त राशि से कम जमा राशि 20.00 संबंधित दोषी कर्मचारी से वसूलकर राजकोष के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाय एवं उक्त कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी दी जाए। भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृति पर रोक अपेक्षित है।

14. कुल रू0 194781.00 असमायोजित अभिश्रव समायोजन हेतु लंबित :–

सामान्य रोकड़ पंजी के अवलोकन में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के संवरण शेष में दिनांक 31.3.12 को अभिश्रव के संवरण शेष में 194781.00 रूपया असमायोजित अभिश्रव के रूप में दिखाया गया था जो स्पष्टतः विचलन है तथा बिहार बजट हस्तगत के नियम 107, 108, 109 एवं 111 तथा 299 एवं 487 तथा बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 305, 307 एवं 316 (3) में प्रावधानों का उल्लंधन है। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही परोक्ष रूप से उत्तरदायी है।

अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि असमायोजित अभिश्रव के संबंध में प्रशासी विभाग से नियमानुसार कार्रवाई / आवंटन प्राप्त कर व्यय नियमित करा लिया जाए। तथा कृत कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाए।

15. श्री राम प्रवेश पासवान अनुसेवी को वेतन के साथ में रू0 14656.00 का दोहरा भुगतान व्यय आपत्ति अन्तर्गत :–

वेतन भुगतान पंजी की जाँच एवं रोकड़ पुस्त से सत्यापन क्रम में पाया गया कि विपत्र सं0 149/2010–11 द्वारा कुल सात व्यक्तियों का वेतन फरवरी 2010 का रू0 89252.00 की निकासी की गई थी एवं भुगतान किया गया था। जिसका रोकड़ पुस्त शीर्ष 2029 के ग्राम एवं व्यय पक्ष में दिनांक – 24.03.11 को दर्ज किया गया था। जिसमें श्री रामप्रवेश पासवान अनुसेवी का भुगतान भी सम्मिलित था। पुनः दिनांक 5.7.11 को श्री रामप्रवेश पासवान का माह फरवरी 2010 का वेतन चेक सं0 674879 द्वारा दुबारा भुगतान 14656.00 रोकड़ पुस्त के व्यय पक्ष में दर्ज पाया गया जबकि विपत्र सं0–149/10– 11 से पूर्व में भी श्री पासवान को रू0 14656.00 कर दिया गया था, अंकेक्षण द्वारा बैंक विवरणी को मांग की गयी लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक बैंक विवरणी उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके चलते व्यय की सत्यता की जाँच नहीं हो सका निर्गत आपत्ति का भी अनुपालन भी नहीं किया गया।

अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि दोहरा भुगतान की जाँच सक्षम पदाधिकारी से करा कर फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी सूचित किया जाय। तब तक रू0 14656.00 का दिखाया गया व्यय आपत्ति के अन्तर्गत रखा जाता है।

16. श्री रामप्रवेश पासवान, अनुसेवी को सेवा निवृत तिथि के बाद भी कुल रू0 155660.00 वेतन भुगतान के संबंध में :–

वेतन भुगतान पंजी के जाँच एवं सहायक रोकड़ पुस्त से सत्यापन क्रम में पाया गया कि श्री रामप्रवेश पासवान, अनुसेवी की सेवा निवृति तिथि दिनांक – 31.5.2010 था। सेवा निवृति तिथि की पुष्टी सहायक रोकड़ पुस्त से हुआ। उसके बाद भी उनका वेतन भुगतान होते गया। श्री रामप्रवेश पासवान के सेवा निवृति तिथि 31.05.2010 के बाद भी जून 2010 से लगातार माह फरवरी 11 तक कुल रूपये 155660.00 का भुगतान पाया गया जो वसूली योग्य है।

विवरणी परिशिष्ट "झ" पर उपलब्ध है। निर्गत आपत्ति का कोई अनुपालन नहीं किया गया।

अतः श्री पासवान से रू0 155660.00 वसूलकर कोषागार में जमा किया जाय एवं सेवानिवृत होने के बाद भी कार्य कराते रहने एवं उस अवधि का वेतन भुगतान करने वाले उत्तर दायी व्यक्ति के विरूद्ध प्रशासी विभाग यथोचित कार्रवाई करे एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

17. अग्रिम स्वरूप राशि रू0 17600.00 असमायोजित :–

अग्रिम पंजी की जाँच में पाया गया कि अंचल कार्यालय द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न कार्यो के सम्पादन हेतु अग्रिम की राशि प्रदान की गयी थी। जिसका समायोजन अंकेक्षित तिथि तक नहीं पाया गया दिनांक – 31.3.12 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 11–12 में प्रदत अग्रिम राशि में से अग्रिम रू0 17600.00 समायोजन हेतु लंबित है। बिहार वित्तीय नियमावली 2011 भाग– 1 संशोधित नियम 317 एवं 318 के अग्रिम की राशि का समायोजन वित्तीय वर्ष के अन्त से होना अपेक्षित है। अग्रिम की कुल राशि रू0 17600.00

राशि का समायोजन या वापसी अविलम्ब करायी जाय। इस ओर विभागीय पदाधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

विवरणी निम्नवत् है।

1	श्री पप्पू सिल्पकार एवं अन्य	11-10-2010	500.00	2	1,000.00
2	श्री सिंहासन प्रसाद, एवं अन्य	12-10-2010	500.00	3	1,500.00
3	श्री राजू एवं अन्य	11-11-2010	300.00	4	1,200.00
4	श्री राज किशोर सिंह एवं अन्य	20-11-2010	300.00	3	900.00
5	बी0 आर0 01 एपी0 2293 एवं अन्य	20-01-2011	1,000.00	2	2,000.00
6	बी0 आर0 01 एएल0 5377 एवं अन्य	05-03-2011	500.00	5	2,500.00
7	श्री नरेन्द्र सिंह एवं अन्य	14-05-2011	500.00	6	3,000.00
8	बी0 आर0 बी0पी0 4670 एवं अन्य	24-05-2011	500.00	7	3,500.00
9	श्री विकास कुमार	19-06-2011	500.00	NDRF	500.00
10	श्री अजित कुमार एवं अन्य	10-08-2011	500.00	3	1,500.00
					17,600.00

भाग – 3 (सुझावात्मक)

18. संवरण शेष में अनावश्यक रूप से वृहद सरकारी राशि रखा जाना अनियमित :–

बिहार कोषागार संहित 2011 खण्ड – 1 के नियम 176 के अनुसार वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिथि को संवरण शेष के रूप में सरकारी राशि का उपयोग नहीं हो तो नहीं रखा जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिथि 31.3.10, 31.3.11 तथा 31.3.12, को राशि को संवरण शेष के रूप में भारी रकम रखा गया है। जो कि अनियमित है निर्गत आपत्ति के आलोक में अनुपालन नहीं किया गया

अतः लम्बी अवधि से पड़ी अत्यधिक राशि को संबंधित शीर्षो में अविलम्ब जमा किया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी दी जाय। साथ ही प्रशासी विभाग उतरीदायी व्यक्ति पर आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है भविष्य में इस पर सतर्कता बरती जाए।

शीर्ष	31.3.10	31.3.11	31.3.12
2029	37411.16	64242.16	174818.16
2055	508577.16	554054.00	553054.00

19. श्री कुमुद तिवारी, अनुसेवी को अंचल कार्यालय बिहटा में प्रतिनियुक्ति एवं भुगतान के संबंध में। :–

वेतन भुगतान पंजी, उपस्थिति पंजी एवं अनुपस्थिति विवरणी के जाँच क्रम में पाया गया कि श्री कुमुद तिवारी, अनुसेवी, जिला पत्राचार शाखा पटना से अंचल कार्यालय बिहटा में दिनांक – 26.6.2009 से प्रतिनियुक्ति है। श्री कुमुद तिवारी, दिनांक – 26.6.2009 को अंचल कार्यालय बिहटा में योगदान दिये है। अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक भी बिहटा में प्रतिनियुक्त पाये गये एवं इनका वेतन का भुगतान पटना नयाचार शाखा से हो रहा बताया गया। अंकेक्षण द्वारा निम्नलिखित स्थिति स्पष्ट करने हेतु आपत्ति निर्गत किया गया।

1. इनको मकान भाड़ा का भुगतान बिहटा का हो रहा है या पटना की
2. इनको परिवहन भत्ता का भुगतान हो रहा है अथवा नहीं
3. इनके अनुपस्थिति विवरणी में आकस्मिक अवकाश उपार्जित अवकाश का उल्लेख नहीं है।

निर्गत आपत्ति का अनुपालन कर नहीं लौटाया गया।

अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि श्री तिवारी का प्रतिनियुक्ति काफी दिन हो गया है इनको विहटा का सभी देय भत्ता मिलना चाहिए अथवा प्रतिनियुक्ति रद्द होनी चाहिए। ये अनुसेवी है ये पटना से बिहटा में क्यों प्रतिनियुक्त हैं। उपर्युक्त विन्दुओं पर उच्च अधिकारियों

का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है एवं फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को सूचित किया जाए।

20. लेखा के संधारण में त्रुटियों को दूर करने हेतू सुझाव :–

(क) बिहार कोषागार संहित 2011 भाग – 1 के नियम 305 में प्रावधान है कि प्रत्येक माह के अंत में रोकड़ पुस्त का सत्यापन कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा। एतद संबंधित प्रमाण पत्र रोकड़ पुस्त में अंकित किया जाएगा। परन्तु कार्यालय प्रधान द्वारा नियमों की अवहेलना कर रोकड़ पुस्त का सत्यापन नहीं किया गया एवं प्रमाण पत्र अंकित नहीं पाया गया। अतएव उक्त नियमों का पालन का सुझाव दिया जाता है।

(ख) बिहार कोषागार संहित भाग – 1 के नियम 177 के अनुसार एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक टी-- 2 – 101/78 – 1974 दिनांक 14.2.79 में निहित निदेशों के अनुसार प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को प्रत्येक माह की 15वीं एवं 30 वी0 तारीख को नगद राशि की जाँच करेंगे तथा रोकड़ पुस्त में यह प्रमाण पत्र अंकित करेगें। परन्तु उक्त नियम का पालन नहीं किया गया। इस नियम का पालन भविष्य में किया जाय।
(ग) वित्त विभाग के ज्ञापांक ए0 आर0 06/19/5329 दिनांक 01.06.1953 के निदेशानुसार कभी भी रोकड़ पुस्त में नियंत्री पदाधिकारी एवं निरीक्षी पदाधिकारी का निरीक्षण अंकित नहीं पाया गया। भविष्य में निरीक्षण प्रतिवेदन पुस्ट का संधारण तथा उक्त नियम का पालन किया जाय।

उप लेखा नियंत्रक
वित्त (अंकेक्षण) विभाग,
बिहार, पटना।

मिलान एवं शुद्धि कर्त्ता का ह0
मो0 ओबैदुल्लाह जावेद, व0अं0–2

परिशिष्ट " क "

(कंडिका 1 "ट" से संबंधित)

अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

1 विपत्र पंजी –वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2011–12 तक

2 साहायक रोकड़ पंजी – शीर्ष 2029, 2055, 2245

3 वेतन भुगतान पंजी – शीर्ष 2029, 2055

4 अभिश्रव, अभिश्रव पंजी

5 आवंटन व्यय पंजी

6 अग्रिम पंजी

7 हल्का से संबंधित अभिलेख लगान रसीद, रजिस्टर 3 ए

8 निर्गत लगान को रसीद की भंडार पंजी

9 आयकर विवरणी

10 कोषागार चालान पंजी

11 उपस्थिति पंजी

12 अनुपस्थिति विवरणी

13 नाजिर रसीद वही

(ख) अंकेक्षण में अप्रस्तुत अभिलेख की सूची :–

1 वाहनों का लौग बुक

2 सेवा पुस्त एवं निजी संचिका

3 भंडार पंजी वर्ष 2010–11 से 11–12

4 पूर्व का अंकेक्षण प्रतिवेदन

5 2245 का उपयोगिता प्रमाण पत्र

6 3 ए ए

7. नाजिर रसीद का भंडार पंजी

परिशिष्ट ''ख''							
कंडिका 3 (1) से संबंधित							
आवंटन एवं व्यय विवरणी वितीय वर्ष – 2010–11							
क्र० सं०	शीर्ष का नाम	आवंटन का मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	बचत / प्रत्यार्पित राशि	प्रत्यार्पित पत्रांक दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2029	वेतन एवं भत्ते	86,20,568.00	83,72,421.00	0.00	2,48,147.00	675 / 31.03.11
2	2029	यात्रा व्यय	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
3	2029	कार्यालय व्यय	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	
4	2029	वर्दी	6,550.00	3,697.00	0.00	2,853.00	
5	2055	ग्राम पुलिस	54,33,957.00	53,06,096.00	0.00	1,27,861.00	653 / 31.3.11
6	4047	महादलित	10,00,000.00	0.00	0.00	10,00,000.00	46 / 12.1.11
7	2235	शीतलहर	3,000.00	2,960.00	0.00	40.00	567 / 31.3.11
8	2245	भूखमरी	1,00,000.00	0.00	0.00	1,00,000.00	569 / 31.3.11
9	2245	प्राकृतिक विपत्र	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	560 / 31.3.11
10	2245	प्राकृतिक विपत्र	2,53,600.00	0.00	0.00	2,53,600.00	565 / 31.3.11
11	2245	अग्नि	4,05,000.00	4,05,000.00	0.00	0.00	
12	2245	निः सहाय विकलांग	48,13,200.00	48,00,000.00	0.00	13,200.00	566 / 31.3.11
13	2245	जनसंख्या विस्क्रमण	5,00,000.00	1,00,000.00	0.00	4,00,000.00	572 / 31.3.11
14	2245	सहाय जाकरूकता एवं क्षमता निर्माण	1,88,500.00	1,88,500.00	0.00	0.00	
15	2015	निर्वाचन	1,00,000.00	35,944.00	0.00	64,056.00	568 / 31.3.11

परिशिष्ट ''ख''

कंडिका 3 (1) से संबंधित

आवंटन एवं व्यय विवरणी वितीय वर्ष – 2011–12

क्र० सं०	शीर्ष का नाम	आवंटन का मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	बचत / प्रत्यार्पित राशि	प्रत्यार्पित पत्रांक दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2029	वेतन एवं भत्ते	54,28,092.00	53,94,105.00	0.00	33,987.00	437 / 29.3.12
2	2029	यात्रा व्यय	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	444 / 30.3.12
3	2029	कार्यालय व्यय	11,000.00	2,138.00	0.00	8,862.00	445 / 30.3.12
4	2029	वर्दी	5,900.00	2,728.00	0.00	3,172.00	446 / 30.3.12
5	2055	वाहन इंधन रख रखाव	36,967.00	24,900.00	0.00	12,067.00	443 / 31.3.12
6	2055	दूरभाष, लोक सेवा	67,000.00	13,390.00	0.00	53,610.00	443 / 31.3.12
7	4047	ग्राम पुलिस	54,63,518.00	51,58,398.00	0.00	3,05,120.00	376 / 15.3.12
8	2245	पुरूस्कार	265.00	0.00	0.00	265.00	438 / 29.03.12
9	2245	महादलित	3,50,000.00	0.00	0.00	3,50,000.00	390 / 16.03.12
10	2245	प्राकृतिक विपत्र	1,00,000.00	25,183.00	0.00	74,817.00	444 / 29.3.12
11	2245	प्राकृतिक विपत्र	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	389 / 16.03.12
12	2245	प्राकृतिक विपत्र	1,50,000.00	0.00	0.00	1,50,000.00	388 / 16.03.12
13	2245	प्राकृतिक विपत्र	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	391 / 16.03.12

परिशिष्ट "ग"			
कंडिका 3 (iii) से संबंधित			
रोकड़ पुस्त के संवरण शेष का वार्षिक ब्यौरा।			
01.04.2010	31.03.2010	शीर्ष	
बैंक खाता	24,08,764.16	2029 राजस्व	37,411.16
अभिश्रव	28,468.00	2055 ग्राम पुलिस	0.00
अग्रिम	31,300.00	2015 निर्वाचन	0.00
नगद	1,196.00	2245 सहाय	5,08,577.00
		4047 महादलित	19,23,740.00
	24,69,728.16		24,69,728.16
	31.03.2011	शीर्ष	
बैंक खाता	4,15,505.16	2029	64,242.16
अभिश्रव	1,76,063.00	2055	0.00
अग्रिम	38,900.00	2245	5,54,054.00
नगद	142.00	2015	12,314.00
	6,30,610.16		6,30,610.16

	31.03.2012	शीर्ष	
बैंक खाता	7,88,607.16	2029	1,74,818.16
अभिश्रव	1,94,781.00	2055	0.00
अग्रिम	47,400.00	2245	5,53,054.00
नगद	473.00	2015	0.00
		4047	0.00
		विविध रोकड़ पंजी	3,03,389.00
	10,31,261.16		10,31,261.16

परिशिष्ट "घ"

कंडिका 3 (iv) से संबंधित

भू – लगान, सेस मांग एवं वसूली का रिर्टन। प्रतिवेदन वितीय वर्ष – 2010–11

	अंचल बिहटा	अनुमंडल दानापुर					जिला पटना			
क्र० सं०	मांग का प्रकार	वर्ष 2010–11 का मांग			वर्ष 2010–11 का मांग			शेष मांग		
		बकाया	हाल	योग	बकाया	हाल	योग	बकाया	हाल	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	रेंट	3,48,176.34	2,06,325.00	5,54,501.34	1,39,754.00	1,59,626.00	2,99,380.00	2,40,572.34	14,549.00	2,55,121.34
2	सेस	87,044.10	51,551.37	1,38,595.47	32,624.00	40,895.00	73,519.00	54,420.10	10,656.37	65,076.47
3	शिक्षा सेस	1,74,088.20	1,03,208.14	2,77,296.34	66,206.00	81,790.00	1,47,996.00	1,07,882.20	21,418.14	1,29,300.34
4	स्वास्थ्य सेस	1,74,088.20	1,03,208.14	2,77,296.34	67,856.00	81,790.00	1,49,646.00	1,06,232.20	21,418.14	1,27,650.34
5	कृषि सेस	69,635.22	41,265.29	1,10,900.51	32,150.00	33,907.00	66,057.00	37,485.22	7,358.29	44,843.51
6	सूद	0.00	0.00	0.00	22,496.00	0.00	22,496.00	0.00	0.00	0.00
7	कुल	8,53,032.06	5,05,557.94	13,58,590.00	3,61,086.00	3,98,008.00	7,59,094.00	5,46,592.06	75,399.94	6,21,992.00
8	सैरात + बाजार	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00
			43,912.00	43,912.00		43,912.00	43,912.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	8,53,032.06	5,52,109.94	14,05,142.00	3,61,086.00	4,44,560.00	8,05,646.00	5,46,592.06	75,399.94	6,21,992.00

परिशिष्ट "घ"

कंडिका 3 (iv) से संबंधित

भू – लगान, सेस मांग एवं वसूली का रिर्टन। प्रतिवेदन वितीय वर्ष – 2011–12

	अंचल बिहटा	अनुमंडल दानापुर					जिला पटना			
क्र० सं०	मांग का प्रकार	वर्ष 2011–12 का मांग			वर्ष 2011–12 का मांग			शेष मांग		
		बकाया	हाल	योग	बकाया	हाल	योग	बकाया	हाल	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	रेंट	7,08,030.75	2,49,708.30	9,57,739.05	3,51,846.24	1,24,018.90	4,75,865.14	3,56,184.51	1,25,689.40	4,81,873.91
2	सेस	1,77,007.70	62,427.07	2,39,434.77	87,911.80	31,004.70	1,18,916.50	89,095.90	31,422.37	1,20,518.27
3	शिक्षा सेस	3,54,015.40	1,24,854.14	4,78,869.54	1,75,823.60	62,009.40	2,37,833.00	1,78,191.80	62,844.74	2,41,036.54
4	स्वास्थ्य सेस	3,54,015.40	1,24,854.14	4,78,869.54	1,75,824.60	62,009.40	2,37,634.00	1,78,390.80	62,844.74	2,41,235.54
5	कृषि सेस	1,41,606.07	49,941.63	1,91,547.70	70,329.40	24,803.96	95,133.36	71,276.67	25,137.67	96,414.34
6	सूद	35,350.00	0.00	35,350.00	35,350.00	0.00	35,350.00	0.00	0.00	0.00
7	कुल	17,70,025.32	6,11,785.28	23,81,810.60	8,97,085.64	3,03,846.36	12,00,932.00	8,73,139.68	3,07,938.92	11,81,078.60
8	सैरात + बाजार	0.00	2,770.00	2,770.00	0.00	2,770.00	2,770.00	0.00	0.00	0.00
			44,862.00	44,862.00	0.00	44,862.00	44,862.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	17,70,025.32	6,59,417.28	24,29,442.60	8,97,085.64	3,51,478.36	12,48,364.00	8,73,139.68	3,07,938.92	11,81,078.60

परिशिष्ट ''ड़''				
कंडिका 4 से संबंधित				
अंचल कार्यालय बिहटा के अन्तर्गत आवंटित स्वीकृत / रिक्त बलों का ब्यौरा।				
क्र० सं०	पद नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त
1	अंचलाधिकारी	1	1	0
2	अंचल निरीक्षक	1	1	0
3	लिपिक	7	6	1
4	अमीन	1	1	0
5	अनुसेवी	5	3	2
6	जंजीर वाहक	1	1	0
7	दफादार	9	2	7
8	चौकीदार	75	27	48
		100	42	58

परिशिष्ट ''च''								
कंडिका 6 से संबंधित								
क्र० सं०	नाम एवं पदनाम	लेखा वर्ष / कर निर्धारण वर्ष	कुल वास्तविक आय	दिखाया गया कुल आय	आयकर कटौती की राशि	आयकर कटौती की वास्तविक राशि	अन्तर राशि राजस्व की क्षति	अभ्युक्ति
1	श्री उदय कुमार, राजस्व कर्मचारी	2010-11	6,68,545.00	2,99,504.00	4,068.00	46,403.56	42,335.56	
2	श्री दिनेश्वर प्र0 वर्मा, राजस्व कर्मचारी	2010-11	6,68,545.00	2,99,504.00	5,707.00	48,463.56	42,756.56	
3	श्री चन्द्रिका प्र0 सिंह, राजस्व कर्मचारी	2010-11	6,74,756.00	3,05,449.00	9,190.00	54,035.44	44,845.44	
4	श्री राम सागर सिंह, राजस्व कर्मचारी	2010-11	8,07,782.00	2,78,596.00	3,897.00	75,933.66	72,036.66	
5	श्री जितेन्द्र कु0 सिंह	2010-11	3,64,931.00	2,45,730.00	0.00	12,296.96	12,296.96	
6	श्री सुरेश प्रसाद	2010-11	4,74,376.00	3,17,374.00	5,437.00	24,292.03	18,855.03	
7	श्रीमति चिन्ता देवी, स्व0 जनार्दन प्रसाद की पत्नी रा0 कर्मचारी	2010-11	3,55,635.00	0.00	0.00	18,858.00	18,858.00	
							2,51,984.21	

परिशिष्ट ''च''		
कंडिका 6 से संबंधित		
सुनिश्चित वृति अन्नयन वेतन का अन्तर राशि की विवरणी :–		
क्र० सं०	नाम एवं पदनाम	राशि
1	श्री उदय कुमार, राजस्व कर्मचारी	3,55,635.00
2	श्री दिनेश्वर प्र0 वर्मा, राजस्व कर्मचारी	3,55,635.00
3	श्रीमति चिन्ता देवी, स्व0 जनार्दन प्रसाद की पत्नी रा0 कर्मचारी	3,55,635.00
4	श्री चन्द्रिका प्र0 सिंह, राजस्व कर्मचारी	3,55,635.00
5	श्री राम सागर सिंह, राजस्व कर्मचारी	5,16,578.00
6	श्री जितेन्द्र कु0 सिंह	1,08,218.00
7	श्री सुरेश प्रसाद	1,42,461.00
		21,89,797.00

1	श्री उदय कुमार	PAN - AEWPK - 8774 R		
	वर्ष 2010–11 में आयकर की गणना की गयी है जिसके अनुसार आयकर की कटौति की गई।		वर्ष 2010–11 में आयकर की गणना होनी चाहिए	
	वेतन	3,12,910.00	वेतन	3,12,910.00
	मकान भाड़ा	13,406.00	ए सी पी की राशि	3,55,635.00
		2,99,504.00		6,68,545.00
	घारा 80 सी के अन्तर्गत अंशदान	1,00,000.00	मकान भाड़ा 13406+12546	25,952.00
		1,99,504.00		6,42,593.00
			घारा 80 सी के अन्तर्गत अशदान	87,330.00
1	भविष्य निधि	22,330.00		5,55,263.00
2	ग्रुप बीमा में अंशदान		कर योग्य आय	5,55,260.00
3	ट्यूशन फी	65,000.00	प्रथम 160000.00 पर शून्य	1,60,000.00
4	गोल्डन गुबली होस्टल फी	25,000.00	340000 का 10 % कर	34,000.00
5	मेस चार्ज	15,000.00	55260 का 20 % कर	11,052.00
	योग	1,27,330.00		45,052.00
			45052 का 3 % शिक्षा कर	1,351.56
	कर योग्य आय	1,99,504.00		46,403.56

	प्रथम 160000 पर शुन्य	1,60,000.00	आयकर का भुगतान	4,068.00
		39,504.00	भुगतेय राशि	42,335.56
	39504 का 10 %	3,950		
	3950 का 3 % शिक्षा कर	118.5		
	कुल	4,069		
2	श्री दिनेश्वर प्रसाद वर्मा, रा0 कर्मचारी	PAN - AKBPU - 1923 E		
	वर्ष 2010–11 में आयकर की गणना की गयी है जिसके अनुसार आयकर की कटौति की गई।		वर्ष 2010–11 में आयकर की गणना होनी चाहिए	
	वेतन	3,12,910.00	वेतन	3,12,910.00
	मकान भाड़ा	13,406.00	ए सी पी की राशि	3,55,635.00
		2,99,504.00		6,68,545.00
	घारा 80 सी के अन्तर्गत अंशदान	82,430.00	मकान भाड़ा 13406+12546	25,952.00
		2,17,074.00		6,42,593.00
			घारा 80 सी के अन्तर्गत अंशदान	77,330.00
1	भविष्य निधि	22,330.00		5,65,263.00
2	ग्रुप बीमा में अंशदान		कर योग्य आय	5,65,260.00

3	ट्यूशन फी	45,000.00	प्रथम 160000.00 पर शून्य	0.00
4	गोल्डन गुबली होस्टल फी	10,000.00	340000 का 10 % कर	34,000.00
5	मेस चार्ज	5,000.00	55260 का 20 % कर	13,052.00
6	लेट फी	100.00		
	योग	82,430.00		47,052.00
			45052 का 3 % शिक्षा कर	1,411.56
	कर योग्य आय	2,17,074.00		48,463.56
	प्रथम 160000 पर शुन्य	0.00	आयकर का भुगतान	5,707.00
			भुगतेय राशि	42,756.56
	57070 का 10 %	5,707		

3	श्री चन्द्रिका प्रसाद सिंह, रा0 कर्मचारी	PAN - AQDPS - 3907 P		
	वर्ष 2010–11 में आयकर की गणना की गयी है जिसके अनुसार आयकर की कटौति की गई।		वर्ष 2010–11 में आयकर की गणना होनी चाहिए	
	वेतन	3,19,121.00	वेतन	3,19,121.00
	मकान भाड़ा	13,672.00	ए सी पी की राशि	3,55,635.00

		3,05,449.00		6,74,756.00
	घारा 80 सी के अन्तर्गत अंशदान	56,230.00	मकान भाड़ा 13672+12546	26,218.00
		2,49,219.00		6,48,538.00
			घारा 80 सी के अन्तर्गत अंशदान	56,230.00
	कर योग्य आय	2,49,219.00		5,92,308.00
	प्रथम 160000.00 पर शून्य	0.00		
	89219 का 10 % कर	8,922.00	प्रथम 160000.00 पर शून्य	0.00
	8922 का 3 % शिक्षा कर	268.00	340000 का 10 % कर	34,000.00
		9,190.00	923080 का 20 % कर	18,461.60
				52,461.60
			52461 का 3 % शिक्षा कर	1,573.85
				54,035.45
			आयकर का भुगतान	9,190.00
			भुगतेय राशि	44,845.45

4	श्री राम सागर सिंह, रा0 कर्मचारी	PAN - CSCPS - 2336 B		
	वर्ष 2010–11 में आयकर की गणना की गयी है जिसके अनुसार आयकर की कटौति की गई।		वर्ष 2010–11 में आयकर की गणना होनी चाहिए	
	वेतन	2,91,204.00	वेतन	2,91,204.00
	मकान भाड़ा	12,608.00	ए सी पी की राशि	5,16,578.00
		2,78,596.00		8,07,782.00
	घारा 80 सी के अन्तर्गत अंशदान	79,628.00	मकान भाड़ा 12608+16936	29,544.00
		1,98,968.00		7,78,238.00
			घारा 80 सी के अन्तर्गत अंशदान	79,628.00
1	भविष्य निधि	20,330.00	कर योग्य आय	6,98,610.00
2	ग्रुप बीमा में अंशदान			
3	जीवन वीमा प्रीमियम	59,298.00	प्रथम 160000.00 पर शून्य	0.00
	योग	79,628.00	340000 का 10 % कर	34,000.00
			198610 का 20 % कर	39,722.00
				73,722.00
			73722 का 3 % शिक्षा कर	2,211.66
	कर योग्य आय	1,98,968.00		75,933.66

	प्रथम 160000 पर शुन्य	0.00	आयकर का भुगतान	3,897.00
		1,98,968.00	भुगतेय राशि	72,036.66
	38968 का 10 %	3,897		

5	श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, रा0 कर्मचारी	PAN - CREPS - 5941 R		
	वर्ष 2010–11 में आयकर की गणना की गयी है जिसके अनुसार आयकर की कटौति की गई।		वर्ष 2010–11 में आयकर की गणना होनी चाहिए	
	वेतन	2,56,713.00	वेतन	2,56,713.00
	मकान भाड़ा	10,983.00	ए सी पी की राशि	1,08,218.00
		2,45,730.00		3,64,931.00
	घारा 80 सी के अन्तर्गत अंशदान	1,00,000.00	मकान भाड़ा 12608+16936	26,213.00
		1,45,730.00		3,38,718.00
			घारा 80 सी के अन्तर्गत अंशदान	59,330.00
1	भविष्य निधि	22,330.00	कर योग्य आय	2,79,388.00
2	ग्रुप बीमा में अंशदान			
3	जीवन वीमा प्रीमियम	10,688.00	प्रथम 160000.00 पर शून्य	0.00

	27.10.2009 – 6065		119388 का 10 % कर	11,938.80
	23.12.2009 – 4523		11938.80 का 3 % कर शिक्षा कर	358.16
	वर्ष 2010–11 के पूर्व का			12,296.96
4	टयूशन फी	37,000.00		
5	कासन मनी	2,000.00		12,296.96
6	होस्टल फी	38,000.00	आयकर का भुगतान	0.00
7	होस्टल सीनुरेटी	5,000.00	भुगतेय राशि	12,296.96
8	परीक्षा फी	750		
	योग	1,15,768.00		
	कर योग्य आय	1,45,730.00		
	प्रथम 160000.00 पर शून्य			
6	श्री सुरेश प्रसाद, रा0 कर्मचारी	PAN - AGEPP - 2344 N		
	वर्ष 2010–11 में आयकर की गणना की गयी है जिसके अनुसार आयकर की कटौति की गई।		वर्ष 2010–11 में आयकर की गणना होनी चाहिए	
	वेतन	3,31,915.00	वेतन	3,31,915.00
	मकान भाड़ा	14,541.00	ए सी पी की राशि	1,42,461.00
		3,17,374.00		4,74,376.00
	घारा 80 सी के अन्तर्गत अंशदान	1,00,000.00	मकान भाड़ा 14541+19630	34,171.00

		2,17,374.00		4,40,205.00
			धारा 80 सी के अन्तर्गत अंशदान	44,360.00
1	भविष्य निधि	24,360.00	कर योग्य आय	3,95,845.00
2	ग्रुप बीमा में अंशदान			
3	राष्ट्रीय बचत पत्र एक सपना कुमारी वो पुनम कुमारी के नाम	20,000.00 10,000.00	प्रथम 160000.00 पर शून्य	0.00
4	किसान विकास पत्र	50,000.00	235845 का 10 % कर	23,584.50
		1,04,360.00	23584.5 का 3 % कर शिक्षा कर	707.53
				24,292.03
	कर योग्य आय	2,17,370.00	आयकर का भुगतान	5,737.00
	प्रथम 160000.00 पर शून्य	0	भुगतेय राशि	18,555.03
	57370 का 10 % कर	5,737.00		18,555.00

7	श्रीमति चिन्ता देवी, पति – स्व0 जनादेव प्रसाद	PAN - उपलब्ध नहीं		
	वर्ष 2010–11 में आयकर की गणना उपलब्ध नहीं		वर्ष 2010–11 में आयकर की गणना होनी चाहिए	
			वेतन	0.00
			ए सी पी की राशि	3,55,635.00
			मकान भाड़ा	12,546.00
				3,43,089.00
			प्रथम 160000.00 पर शून्य	0.00
			183089 का 10 % कर	18,308.90
			18308.9 का 3 % कर शिक्षा कर	549.16
			भुगतेय राशि	18,858.06
		उक्त निकासी पर कोषागार द्वारा भी आयकर की कटौती नहीं की गयी है।		

परिशिष्ट 'छ'

कडिका 7 से सबधित

वेतन विपत्र मे गलत गणना के फलस्वरूप अधिक भुगतान राशि रू0 5454 की विवरणी :-

क्र० स०	विपत्र स0 / वर्ष	कर्मचारी का नाम एव पदनाम	मुल वेतन	मुल वेतन 1 अगस्त से 22 अगस्त तक	महँगाई भत्ता	अवास भत्ता	चिकित्सा भत्ता	योग	मुल वेतन 1 अगस्त से 22 अगस्त तक	महँगाई भत्ता	अवास भत्ता	चिकित्सा भत्ता	योग	अन्तर की राशि	भुगतान तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	102/ 2010-11	श्री राम सागर सिंह, रा0 कर्म0	21,500.00	15,774.00	7,098.00	1,183.00	154.00	24,209.00	15,258.00	6,866.00	1,144.00	142.00	23,410.00	799.00	05-03-2011	
2	102/ 2010-11	श्री उदय कुमार, रा0 कर्म0	21,500.00	15,774.00	7,098.00	1,183.00	154.00	24,209.00	15,258.00	6,866.00	1,144.00	142.00	23,410.00	799.00	05-03-2011	
3	102/ 2010-11	श्री दिनेश्वर प्र0 वर्मा, रा0 कर्म0	21,500.00	15,774.00	7,098.00	1,183.00	154.00	24,209.00	15,258.00	6,866.00	1,144.00	142.00	23,410.00	799.00	05-03-2011	
4	102/ 2010-11	श्री चन्द्रिका प्र0 सिंह, रा0 कर्म0	21,930.00	16,082.00	7,237.00	1,206.00	154.00	24,679.00	15,563.00	7,003.00	1,167.00	142.00	23,875.00	804.00	05-03-2011	
5	102/ 2010-11	श्री जितेन्द्र कुमार, रा0 कर्म0	17,620.00	12,914.00	5,811.00	969.00	154.00	19,848.00	12,505.00	5,627.00	938.00	142.00	19,212.00	636.00	05-03-2011	
6	102/ 2010-11	श्री बिनोद कुमार, रा0 कर्म0	12,190.00	8,844.00	3,980.00	663.00	154.00	13,641.00	8,651.00	3,893.00	649.00	142.00	13,335.00	306.00	05-03-2011	
7	102/ 2010-11	श्री प्रभु नारायन, रा0 कर्म0	11,830.00	8,668.00	3,901.00	650.00	154.00	13,373.00	8,395.00	3,778.00	630.00	142.00	12,945.00	428.00	05-03-2011	
8	110/ 2010-11	श्रीमति शोभा कुमारी सिन्हा, रा0 कर्म0	8,520.00	6,248.00	2,815.00	469.00	154.00	9,686.00	6,046.00	2,721.00	453.00	142.00	9,362.00	324.00	11-03-2011	
9	114/ 2010-11	श्री कवि भूषण प्रसाद, रा0 कर्म0	8,020.00	5,874.00	2,643.00	441.00	154.00	9,112.00	5,692.00	2,561.00	427.00	142.00	8,822.00	290.00	05-03-2011	
10	96/ 2010-11	मो0 मोअज्जम अली, रा0 कर्म0	7,320.00	5,368.00	2,416.00	403.00	147.00	8,334.00	5,195.00	2,338.00	390.00	142.00	8,065.00	269.00	05-03-2011	
														5,454.00		

परिशिष्ट "ज"

कंडिका 10 से संबधित

वेतन विपत्र मे गलत गणना कर रू0 1229.00 का अधिक भुगतान राशियो की विवरणी :-

क्र० स०	विपत्र स0 / वर्ष	कर्मचारी का नाम एव पदनाम	मुल वेतन	माह / कार्य दिवस की स0	मुल वेतन	महँगाई भत्ता	मकान किराया	चिकित्सा भत्ता	योग	मुल वेतन	महँगाई भत्ता	अवास भत्ता	चिकित्सा भत्ता	योग	अन्तर की राशि	भुगतान तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	025 / 2010-11	रहीश कुमार, चौकीदार	8,190.00	फरवरी 10 / 24	7,313.00	1,975.00	366.00	200.00	9,854.00	7,020.00	1,895.00	351.00	200.00	9,466.00	388.00	17-07-2010
2	26 / 2010-11	अशोक कुमार, चौकीदार	7,560.00	मई0 10 / 19	4,877.00	1,707.00	244.00	200.00	7,028.00	4,634.00	1,622.00	233.00	200.00	6,689.00	339.00	17-07-2010
3	065/ 2010-11	रणधीर पासवान, चौकीदार	7,480.00	जुलाई एवं अगस्त 10 / 54	13,270.00	4,645.00	664.00	400.00	18,979.00	13,030.00	4,561.00	652.00	400.00	18,643.00	336.00	13-10-2010
4	104/ 2010-11	रणधीर पासवान, चौकीदार	7,710.00	नवम्बर 11 / 26	6,782.00	3,934.00	509.00	200.00	11,425.00	6,682.00	3,876.00	501.00	200.00	11,259.00	166.00	29-02-2012
														46,057.00	1,229.00	

परिशिष्ट ''झ''

कंडिका 16 से संबंधित

श्री राम प्रवेश पासवान, अनुसेवी को सेवा निवृति तिथि के बाद भी वेतन भुगतान के संबंध में। कुल रू0 155660.00 का अनियमित भुगतान की विवरणी।

क्र० स०	माह का वेतन	विपत्र स0	मूल वेतन	महँगाई भत्ता	अवास भत्ता	चिकित्सा भत्ता	योग	भविष्य निधि कटौती	ग्रुप बीमा	भुगतेय राशि	भुगतान तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	जून 10	37/ 2010-11	11,050.00	3,868.00	553.00	200.00	15,671.00	1,000.00	15.00	14,656.00	17-07-2010	
2	जुलाई 10	57/ 2010-11	11,390.00	3,986.00	569.00	200.00	16,145.00	1,000.00	15.00	15,130.00	06-10-2010	
3	अगस्त 10	70/ 2010-11	11,390.00	5,126.00	570.00	200.00	17,286.00	1,000.00	15.00	16,271.00	30-11-2010	
4	सितम्बर 10 से दिसम्बर 10 तक	93/ 2010-11	45,560.00	20,502.00	3,417.00	800.00	70,279.00	4,000.00	60.00	66,219.00	05-03-2011	
5	जनवरी 11	105/ 2010-11	11,390.00	5,126.00	854.00	200.00	17,570.00	1,000.00	15.00	16,555.00	11-03-2011	
6	फरवरी 11	140/ 2010-11	11,390.00	5,126.00	854.00	200.00	17,570.00	1,000.00	15.00	16,555.00	24-03-2011	
7	जुलाई 10 का 10 : बकाया महँगाई भत्ता	162/ 2010-11	0.00	1,139.00	0.00	0.00	1,139.00	0.00	0.00	1,139.00	31-03-2011	
							1,55,660.00					